5

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 221–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–10–2010 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 216/अपील/स्टाम्प/08–09.

.....

डॉ0अशोक पिता कृष्णपाल देसाई

निवासी 29/1 रेसकोर्स रोड इंदौर

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1–कलेक्टर ऑफ स्टाम्प इंदौर म.प्र.

2–आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर

..... प्रत्यर्थीगण

.....

श्री संजय यादव, अभिभाषक–अपीलार्थी

श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक–प्रत्यर्थीगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/3/17 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 47–क(5) के अंतर्गत आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–10–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि कार्यालय महालेखाकार द्वारा उपपंजीयक कार्यालय इंदौर का निरीक्षण कर निरीक्षण टीप में इस आशय की आपत्ति ली गई कि दस्तावेज विक्रय लेख पंजीयन कमांक 1–अ/399/दिनांक 24–6–2003 का बाजार मूल्य 13,98,000/– न्यून मूल्यांकित है । प्रश्नाधीन

संपत्ति का बाजार मूल्य रुपये 70,38,000/– होना चाहिये । इस प्रकार रुपये 3,94,237/– की राजस्व हानि हुई है । उक्त आक्षेप के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 856/47/(क)(3)/2004–05 दर्ज कर दिनांक 31–8–2005 को आदेश पारित किया जाकर कमी मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क रुपये 3,36,081/– देय होना निर्धारित करते हुये रुपये 84,582/– के0एन0देसाई एवं भारती देसाई द्वारा देय होना एवं रुपये 2,51,499/– अपीलार्थी द्वारा देय होना निर्धारित करते हुये 30 दिवस में जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–10–2010 को आदेश पारित कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश यथावत् रखा जाकर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संगीता के द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति में अपना हक वर्ष 1985 में त्याग किया गया था उसके पश्चात् उनका विवाह होने के उपरांत दिनांक 8–10–1985 को लीज डीड का निष्पादन हुआ है और कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा लगभग 20 वर्ष से प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में दर्ज करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि कु0संगीता द्वारा हक त्याग को दान पत्र मानकर मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करने में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा बिना अपीलार्थी को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिये आदेश पारित किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश अवैधानिक आदेश है जिसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा विधि विपरीत एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाकर अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन दस्तावेज मिश्रित विलेख की श्रेणी में आता है, इसलिये प्रश्नाधीन संपत्ति का मूल्यांकन उसकी स्थिति, स्थान, महत्व एवं उपयोगिता को ध्यान में रखकर बाजार मूल्य अवधारित कर उस पर कमी मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की वसूली संबंधी निर्देश कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा दिये गये हैं, जो न्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के वैधानिक आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–10–2010 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर